न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/02/2023 दायर दिनांक 26.07.2023

उनवान

1. फखरू खां पुत्र खाजू खां पठान जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत हथियाना जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ।

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध
आदेश ग्राम पंचायत हथियाना नामान्तरण सं 817, दिनांक 17.12.1990

निर्णय दिनांकः 29.08.2024

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि—

1. यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत हथियाना तहसील कपासन ने इन्तकाल नम्बर 817 दिनांक 17.12.1990 को खारिज कर विधि विरूद्ध निर्णित की है।
2. यह कि कॉलम 1 में वर्णित इंतकाल प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा साबिक आराजी संख्या 1415/5 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा के सम्बन्ध में जो की अपीलान्ट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1990 को क्रय की जो पंजीयन कार्यालय में जिल्द संख्या 50 क्रम संख्या 277 पृष्ठ संख्या 155 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 48 पृष्ठ संख्या 139 से 147 पर चस्पा है। उक्त विक्रय पत्र वर्णित आराजीयात संख्या 1415/5 के हाल आराजी राजस्व ग्राम कीरखेडा उर्फ भगवत नगर पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन के आराजी संख्या 2857 रकबा 0.32 हैक्ट0 व आराजी संख्या 2858 रकबा 0.36 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.68 हैक्ट0 बने है। साक्ष्य स्वरूप जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल एवं पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति पेश है।
3. यह कि अपीलान्ट का विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1990 में नाम फखरू खा पिता खाजु खां अंकित है। तथा राजकीय दस्तावेज मतदाता परिचय पत्र एवं आधार कार्ड में फखरू लिख रखा है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों एवं रेसपोडेन्ट संख्या एक व दो ने विवादित नामान्तरकरण भरते समय फखरू खा के बजाय फारू खां अंकित कर दिया जिससे [illegible] जमाबन्दीयों में फारू खा अंकित है जो अपीलान्ट के पहचान दस्तावेजों से भिन्न है [illegible] विभिन्न राजकीय योजनाओ का लाभ अपीलान्ट को नहीं मिल पा रहा है [illegible] में विवाद हो सकता है। इसलिये इंतकाल संख्या 817 दिनांक 17.12.1990 विक्रय पत्र के प्रतिकूल [illegible] से निरस्त काबिल है एवं विक्रय पत्र एवं आधार दस्तावेजो अनुसार इंतकाल खोला जाना न्यायहित में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:41:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. यह कि अन्य उजरात वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।
5. यह कि अपील सुनवाई का श्रवणाधिकार श्रीमान आपको है।
6. यह कि दिनांक 16.06.2023 को पटवार हल्का से जानकारी हुई जिस पर नामान्तरण हेतु दिनांक 22.06.2023 को नकल का आवेदन किया जो नकल दिनांक 05.07.2023 को प्राप्त हुई नकल प्राप्ति की अवधि से 30 दिन की मियाद में पेश है। किन्तु जानकारी नहीं होने की अवधि के समन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमा नामान्तरण संख्या 817 दिनांक 17.12.1990 को निरस्त किया जाकर विक्रय पत्र अनुसार राजस्व ग्राम किरखेडा उर्फ भगवतनगर के हाल आराजी संख्या 2857 व 2858 फारू खा पुत्र खाजू खां के बजाय फकरू खां पुत्र खाजू खां नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये समन तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से आज दिनांक 29.08.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील पर वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा साबिक आराजी संख्या 1415/5 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1990 को बालूराम, नाथूलाल पिता किशन जी सुथार निवासी रामथली से क्रय की गई। उक्त विक्रय पत्र में अपीलान्ट का नाम फकरू खां पिता खाजू खां पठान अंकित था जो सही था। ग्राम पंचायत हथियाना द्वारा निर्णित इन्तकाल नं0 817 दिनांक 17.12.1990 में अपीलान्ट का नाम फारू खा दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। उक्त साबिक आराजी संख्या से नवीन आराजी संख्या 2857 व 2858 बने है। जिसमें अपीलान्ट का नाम फारू खां दर्ज रेकार्ड है जो कि गलत है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त नामान्तरण निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम फकरू खां पिता खाजू खां दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करे।

हमनें वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 1415/5 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा अपीलान्ट की क्रयशुदा आराजीयात है जिसमें अपीलान्ट का नाम फकरू खां पिता खाजू खां अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 817 दिनांक 17.12.1990 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का नाम फकरू खां के बजाय फारू खां अंकित हो गया है। संलग्न मिलान शीट के अवलोकन से आराजी संख्या 1415/5 से नवीन आराजी नम्बर 2857 व 2858 बनना सिद्ध है। उक्त हाल आराजीयात में अपीलान्ट का नाम फारू खां दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है व अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत हथियाना द्वारा पारित आदेश (बाबत इन्तकाल संख्या 817 दिनांक 17.12.1990) को निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1990 अनुसार मौजा कीरखेडा उर्फ भगवतनगर पटवार हल्का हथियाना के हाल आराजी संख्या 2857 व 2858 में दर्ज खातेदार फारू खां पुत्र खाजू खां के बजाय फकरू खां पुत्र खाजू खां नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली [illegible] सार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:41:07 IST
Reason: SelfAttested

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official